I/179876/2024

ई फाइल संख्या– **E 54433**

प्रेषक,

अतर सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़ ।

आवास अनुभाग–2, **देहरादूनः दिनांकः 04 जनवरी, 2024**

विषयः वित्तीय वर्ष 2023–24 में जनपद पिथौरागढ़ के तहसील/पंचायत बेरीनाग अन्तर्गत छड़ौली में बहुमंजिला पार्किंग परियोजना के क्रियान्वयन/पूर्ति हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–111469/09(150)2019/XXVII(1)/2023,दिनांकः 31.03.2023, संयुक्त मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून के पत्र संख्याः 505/UHUDA/0005/22–23, दिनांकः 17.08.2023 एवं अपर जिलाधिकारी/सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, पिथौरागढ़ के पत्र संख्याः 102/पिथौ0जि0स्त0वि0प्रा0/2023–24 दिनांकः 30.10.2023 के अनुक्रम जनपद पिथौरागढ़ के तहसील/पंचायत बेरीनाग अन्तर्गत छड़ौली में बहुमंजिला पार्किंग निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग, पिथौरागढ़ के द्वारा गठित आगणन की नियोजन विभाग की टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरांत औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि **रू0 724.35 लाख (SI रू0 664.33 लाख + NSI रू0 60.02 लाख)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रथम किश्त के रूप में कुल लागत का 40 प्रतिशत धनराशि **रू0 289.74 लाख (रूपए दो करोड़ उन्नब्बे लाख चौहत्तर हजार मात्र)** निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए श्री राज्यपाल व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि तत्काल उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, पिथौरागढ़ (जि0स्त0वि0प्रा0 पिथौरागढ़) के पक्ष में अवमुक्त की जायेगी। उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, पिथौरागढ़ के माध्यम से पार्किंग निर्माण कार्यों हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग, पिथौरागढ़ को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) जि0स्त0वि0प्रा0 पिथौरागढ द्वारा कार्य के आगणन में सम्मिलित की जा रही GST देयता में प्राविधानित मदों की धनराशि पर वास्तविक एवं नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय उक्त मद में व्यय की जाने वाली धनराशि पर भिन्नता हेतु जि0स्त0वि0प्रा0 पिथौरागढ/कार्यदायी संस्था स्वयं जिम्मेदार रहेंगे।

(3) N.S.I मदों कार्य हेतु शा0सं0–50/XXVii(7)/2012 दि0 12/04/2012,

152 / मार्गसि0 / रा0ययो0आ0 / 2021 दिनांकः 04.02.2021 एवं 103 / XXVII(7)32 / 2007 टी0सी01 दि0 21 जुलाई, 2022 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली संशोधित 2017 के अनुसार कार्यवाही की जाये।

(4) तकनीकी स्वीकृति जारी करने से पूर्व आगणन के प्रतिवेदन, Site plan तथा विभिन्न ड्राईंग पर जि0स्त0वि0प्रा0 पिथौरागढ / उपयोगकर्ता विभाग के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर प्राप्त करते हुये प्राविधानों तथा भवनों / संरचनाओं व आगणन के समस्त कार्यों के layout पर सहमति प्राप्त कर ली जाय।

(5) उक्त पार्किंग पर मालिकाना हक राज्य सरकार का होगा।

(6) जि0स्त0वि0प्रा0 पिथौरागढ एवं कार्यदायी संस्था के मध्य MOU के सम्बन्ध में शा0सं0 475 / XXVii(7) / 2008 दिनांक 15 दिसम्बर, 2008, 571 / XXVii(1) / 2010 दिनांक 19 अक्टूबर, 2010 तथा 426 / XXVii(7) / 2013 दिनांक 22 फरवरी, 2013 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(7) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(8) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृति की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

(9) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सनिश्चित किया जाये।

(10) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।

(11) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(12) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।

(13) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047 / XIV-219(2006), दिनांकः 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

(14) आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली संशोधित 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(15) कार्य की प्राविधिक स्वीकृति हेतु शासनादेश संख्या–2047 / XXVII(7)/E-20109/2022, कदिनांक 28.08.2013 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) आगणन में प्रस्तावित कार्य की तकनीकी स्वीकृति से पूर्व संरचनाओं के समस्त डिजायन, ड्राईंग एवं डी0पी0आर0 को किसी मान्यता प्राप्त उच्च तकनीकी संस्थान से Vetting करा लिया जाये।

(17) तकनीकी स्वीकृति से पूर्व भवन के निर्माण/डिजाईन में भूकम्परोधी मानकों IS-1893, IS-13920 तथा IS-4326 का प्राविधान किये जाने तथा भवन की संरचनात्मक सुदृढ़ता (Structural stability) का प्रमाणपत्र किसी मान्यता प्राप्त Structural engineer से प्राप्त किया जाय।

(18) जि0स्त0वि0प्रा0 पिथौरागढ़/कार्यदायी संस्था के द्वारा कार्य प्रारम्भ से पूर्व प्रस्तावित कार्यस्थल का मृदा परीक्षण एवं भूवैज्ञानिक तथ्यों का संज्ञान ले लिया जाय।

(19) स्वीकृति धनराशि का आहरण जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ के हस्ताक्षर से संबंधित आहरण बिल पर जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, पिथौरागढ़ के प्रति हस्ताक्षर से किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय उक्त पार्किंग के निर्माण हेतु किया जाएगा।

(20) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2024 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा, धनराशि को Parking of Fund नहीं किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि की कार्यवार वित्तीय प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही द्वितीय किश्त निर्गत किये जाने पर विचार किया जायेगा।

2 — इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023—24 में अनुदान संख्या—13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक—4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय—80—सामान्य—800—अन्य व्यय—02—अवस्थापना सुविधाओं का विकास के सुसंगत मानक मद—53—वृहद निर्माण के नामे डाला जायेगा।

3 — यह आदेश शासनादेश संख्या—183/XXVII—1/2012 दिनांक 28.03.2012 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेंट आई.डी. संलग्नक—01 के अन्तर्गत एवं वित्त अनुभाग—02 की कम्प्यूटर जनरेटेड संख्या—179609/2024, दिनांकः 03.01.2024 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by Atar Singh
Date: 04-01-2024 17:20:49

(अतर सिंह)
अपर सचिव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
4. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
5. मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून को अलॉटमेंट आई.डी. की छायाप्रति के साथ इस आशय से प्रेषित की उक्त धनराशि निर्गत किए जाने के संबंध में अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, पिथौरागढ़।
8. निजी सचिव, मा0 आवास मंत्री को मा0 आवास मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
9. निजी सचिव–अपर मुख्य सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
10. निजी सचिव–सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
11. मुख्य अभियंता/अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, देहरादून/ पिथौरागढ़।
12. वित्त–1/2/ नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
13. संबंधित कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
14. साईबर ट्रेजरी, लक्ष्मी रोड, डालनवाला देहरादून, उत्तराखण्ड।
15. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
16. गार्ड फाईल।

IFMS Uttarakhand
उत्तराखण्ड सरकार

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023 - 2024)
Secretary-Secretary, Housing(S021)
HOD-Secretary, Housing (HOD)(2881)

आवंटन पत्र संख्या -E-54433
अनुदान संख्या -013

आवंटन आई डी-S24010130006
आवंटन पत्र दिनांक-04-JAN-2024

लेखा शीर्षक

4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय
800-अन्य व्यय
00-ी

80-सामान्य
02- अवस्थापना सुविधाओं का विकास
Voted

4	2	1	6	8	0	8	0	0	0	2	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	1024364600	28974000	0	1053338600
योग	1024364600	28974000	0	1053338600

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.2,89,74,000 (Rupees Two Crores Eighty Nine Lacs Seventy Four Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

(प्रकाश पालीवाल)
अनुभाग अधिकारी
आवास अनुभाग–2
उत्तराखण्ड शासन